

न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बसिया (गुमला)।

धारा 126 BNSS

प्रथम पक्ष — संजय महतो बगैरह ।

बनाम

वाद सं० 02/2025-26

द्वितीय पक्ष — राजु महतो बगैरह।

आदेश की क० सं० एवं तिथि	<u>दण्डाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर</u>	आदेश पर की गई कार्रवाई टिप्पणी
	थाना कामडारा के अप्राथमिकी सं० 09/2025 दिनांक 02/04/2025 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रथम पक्ष (1) संजय महतो पिता स्व० रामेश्वर महतो ग्राम गोंगराटोली सालेगुटू थाना कामडारा जिला गुमला । बनाम द्वितीय पक्ष (1) राजु महतो (2) राजकुमार महतो (3) पंकज महतो तीनों के पिता स्व० सुदरू महतो ग्राम गोंगराटोली सालेगुटू थाना कामडारा जिला गुमला के बीच मौजा सालेगुटू के खाता सं० 242, 327, प्लॉट सं० 1831, 2527 रकबा 1.06, 0.48 एकड़ पुस्तैनी भूमि को लेकर वाद लाया गया है, फलस्वरूप उभय पक्ष के द्वारा अशांति फैलाने एवं विधि-व्यवस्था की सम्भावना उत्पन्न करने की हो सकती है। थाना प्रभारी कामडारा के उक्त प्रतिवेदन के आलोक में उत्पन्न विवाद के मदेनजर उभय पक्षों को धारा 126 BNSS प्रारम्भ किया गया एवं उभय पक्षों को न्यायालय में अपने स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। उभय पक्ष नोटिस प्राप्त कर न्यायालय में उपस्थित हुए। उभय पक्ष की ओर से किसी प्रकार का जवाब दाखिल नहीं किया गया है। उभय पक्षों के बीच उक्त वाद की कार्रवाई कि समय अवधि समाप्त होने एवं वाद कार्रवाई के समय अवधि में किसी प्रकार की शांति भंग होने की सूचना अप्राप्त होने के कारण उक्त वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित।  अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।   अनुमण्डल दण्डाधिकारी बसिया(गुमला)।	